

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 543/2025

मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय नं० 27ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चैन्नई 600032, क्षेत्रीय कार्यालय 21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रोनिक मार्केट, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर, (राज०) पिन कोड 302018 जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार कुमावत पुत्र श्री बनवारी लाल कुमावत (ऋणी व विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री दिनेश कुमार (सह ऋणी), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
3. श्रीमती रतनी देवी पत्नि श्री बनवारी लाल कुमावत (विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
4. श्री प्रहलाद वर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल कुमावत (विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
5. श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल कुमावत (सह ऋणी व विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
6. श्री दिनेश वर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल कुमावत (सह ऋणी व विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
7. श्री महेश वर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल कुमावत (विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
8. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल कुमावत (विधिक वारिस स्व० बनवारी लाल), पता सुलताना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028
अन्य पता पट्टा नं० 1/95, 96, मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333028

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा- प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

आदेश

दिनांक 02.02.2026

प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं० 1 लगायत 9 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 14.09.2022 को ऋण अनुबन्ध संख्या सं० RJ/CHR/CHRU/A000000183 रुपये 74,99,000/- (अक्षरे चौहत्तर लाख निचानवे हजार रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ने अपने जीवन काल में ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपने स्वामित्व की निर्माणशुदा अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया हुआ है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:-

बंधक सम्पत्ति का विवरण

स्व० बनवारी लाल पुत्र स्व० भोलाराम कुमावत की अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 1/95, 96 मिसल नं० 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333028 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1834.05 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं।

पूर्व : सुलताना से चिडावा जाने वाली रोड व दरवाजा
पश्चिम : लक्ष्मणराम पुत्र मालाराम पूनियां का नोहरा
उत्तर : चिरंजी लाल जांगिड का नोहरा
दक्षिण : आम रास्ता व मेन गेट

स्व० श्री बनवारी लाल कुमावत जो कि ऋण अनुबन्ध में सहऋणी व बंधनकर्ता की हैषियत से पक्षकार थे। स्व० बनवारी लाल कुमावत की मृत्यु हो जाने के कारण स्व० श्री बनवारी लाल कुमावत के कानूनी वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र में विधि अनुसार 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस प्रेषित किया गया है। चूंकि अप्रार्थी सं० 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्व० श्री बनवारी लाल कुमावत की जायन्दा व कानूनी वारिस हैं इसलिए स्व० श्री बनवारी लाल कुमावत के जीवनकाल में प्राप्त किये गये ऋण व अन्य दायित्वों का निर्वहन करने हेतु आबध है। स्व० श्री बनवारी लाल कुमावत की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी सं० 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्व० श्री बनवारी लाल कुमावत के जीवनकाल में किये कार्यकलापों से संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से भागीदार व जिम्मेदार हैं। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05.09.2024 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अक्रियान्वित आस्ति (एन०पी०ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में बकाया 61,88,102/- (अक्षरे इकसठ लाख अठासी हजार एक सौ दो रुपये मात्र) दिनांक 05.08.2025 तक शेष व देय निकलते हैं व दिनांक 06.08.2025 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। अप्रार्थी सं० 3 श्री बनवारी लाल की मृत्यु हो जाने कारण मृतक बनवारी लाल कुमावत के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.08.2025 को डिमाण्ड नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया। डिमाण्ड नोटिस का सार दो प्रमुख समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाया जिसकी प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियम समयावधि में उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया व मृतक बनवारी लाल कुमावत की विधिक वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित भी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद अवधि 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया है। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने की अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति पर ताले लगे होने की स्थिति में सम्पत्ति पर लगे तालों को तोड़ा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करें।


बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा वित्तीय संस्था को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

जिला क्लरक झुंझुनूं

हमने प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्व0 बनवारी लाल पुत्र स्व0 भोलाराम कुमावत की अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 1/95, 96 मिसल नं0 1/95, 96, गांव सुलताना, ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333028 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1834.05 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं का पजेशन प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं